तारीख हुक्म	प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पालरा जल योजना हेतु विभाग द्वारा वर्ष 1996 में जेटू टाइप क्वार्टर का निर्माण किया गया था, इस भूखण्ड का पट्टा नहीं है मौके पर पटवारी हल्का से जानकारी करने पर बताया कि उक्त भूखण्ड रा.उ.मा.वि. पालरा के नाम पर आंवटित भूमि मे स्थित है। उक्त भूखण्ड जहां पर विभाग द्वारा जेटू टाइप क्वार्टर, टंकी एवं चार दीवारी निर्मित है, कृपया आंवटित करने का श्रम करावे।	
	प्रार्थी सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संस्थाप्रधान रा.उ.मा.वि. पालरा से जवाब लिया गया, संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। इसी के साथ सरपंच ग्राम पंचायत पालरा के द्वारा भी रा.उ.मा.वि. भवन पालरा के पीछे की तरफ जलदाय विभाग द्वारा क्वार्टर एवं चार दीवारी एवं उच्चजलाशय हेतु निर्मित टंकी स्थित है, जो वर्ष 1996 से निर्मित है। वर्तमान मे चम्बल परि-योजना का ग्राम पंचायत पालरा हेतु क्वार्टर इसी भूमि पर निर्मित है उक्त स्थान से ही ग्राम पंचायत पालरा एवं ग्राम पंचायत कोट के राजस्व ग्राम मेरनिया हेतु पेयजल [illegible] जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.01 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो ... हुक्म की तामी... जारी हुए
	अतः उक्त भूखण्ड को जलदाय विभाग के नाम करवाया जावे।	
	उक्त स्थल से संबंधित तहसीलदार रायपुर से रेकार्ड व मौके की रिपोर्ट ली गयी, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका जांच रिपोर्ट मे अंकित किया कि राजस्व ग्राम पालरा के आराजी नं. 735 रकबा हेक्टेयर भूमि रा.उ.मा.वि. पालरा के खेलमैदान के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबे मे से विद्यालय भवन के पीछे लगता हुआ 0.08 हेक्टेयर भूमि पर जलदाय विभाग के द्वारा विगत 25 वर्ष पूर्व क्वार्टर व उच्च जलाशय की टंकी निर्मित कर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। विद्यालय के नाम वर्ष 2012 मे खेलमैदान हेतु भूमि आंवटन हुयी थी। इससे पूर्व ही जलदाय विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पर निर्माण कर उपयोग उपभोग मे ली जा रही है।	
	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 मे उपस्थित समस्त ग्राम वासियान एवं ग्राम पंचायत से जानकारी ली गयी और इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गयी तो सरपंच ग्राम पंचायत पालरा के साथ उपस्थित समस्त ग्रामवासियान के द्वारा एक ही आवाज मे कहा कि वर्तमान मे प्रस्तावित स्थल पर चम्बल योजना के [illegible] सप्लाई	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.01 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

टंकी के माध्यम से चम्बल परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जायेगी और उक्त निर्मित क्वाटर एवं उच्च जलाशय की टंकी की भूमि जलदाय विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी आवश्यक है, अगर उक्त भूमि रेकार्ड मे दर्ज नही हुयी तो हमारी पेयजल चम्बल परियोजना प्रभावित होगी जन हित को ध्यान मे रखते हुये जो भूमि जलदाय विभाग के कब्जे मे है वो जलदाय विभाग के नाम दर्ज की जावे और उसके बाद शेष भूमि जो मौके पर खेल मैदान के काम मे आ रही है वह विद्यालय के नाम रखी जावे।

उपरोक्त विवरण के अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट से पाया कि जलदाय विभाग के द्वारा ग्राम पालरा की आराजी नम्बर 735 रकबा 1-21 हेक. मे से 0-08 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 1996 से क्वाटर एवं उच्च जलाशय टंकी का निर्माण किया गया है। संस्था प्रधान द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि वर्ष 1992 मे विद्यालय के नाम पर भूमि आवंटन हुयी है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हुयी अगर मान लिया कि विद्यालय के नाम खेल मैदान हेतु भूमि [illegible] आवंटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.01 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तारी[illegible] जारी हुए
	1996 से रिक्त पड़ी भूमि पर निर्माण कार्य किया गया उस दौरान संस्था प्रधान को आपत्ति करनी चाहिये थी, जो नही की गयी है। भूमि राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम दर्ज होने से पुनः 2010 मे आवंटन होकर जरिये नामान्तरकरण 465 से दर्ज हुयी। प्रस्तावित स्थल पर निर्मित क्वार्टर व टंकी (उच्च जलाशय) से चम्बल परियोजना के तहत जल आपूर्ति की जाती है और इस टंकी बाबत सरकार द्वारा बजट आंवटित होता है तो भूमि विभाग के नाम दर्ज होने पर ही खर्च किया जा सकता है और उक्त स्थल वर्तमान मे खेल मैदान के भी काम मे नही आ रहा है। मौके के अनुसार जलदाय विभाग के कब्जे मे जो भूमि है वो रकबा रा.मा.वि. खेलमैदान के बजाय जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया जाना न्याय एवं जनहित मे उचित है। **आदेश** अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरा की आराजी नम्बर 735 रकबा 1-21 हेक्ट. भूमि जो रा.उ.मा.वि. पालरा के नाम खेल मैदान के रूप मे दर्ज है में से 0-08 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान के बजाय जन स्वास्थ्य अभि. विभाग उपखण्ड [illegible] के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज [illegible] [illegible]	

[illegible] अभियान 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.01 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested